रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2010/पौष 21, 1931
No. 41] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2010/PAUSA 21, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2010

का.आ. 50(अ).— केन्द्रीय सरकार ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का.आ. 123 (अ) तारीख 14 फरवरी, 2000 के द्वारा अधिसूचित किया जिसे संख्यांक अधिसूचना का.आ. 1046 (अ) तारीख 22 नवम्बर, 2000; का.आ. 1088 (अ) तारीख 11अक्तूबर, 2002 और का.आ. 1569 (अ) तारीख 19 सितम्बर, 2006 के द्वारा संशोधित किया गया है;

और, केन्द्रीय सरकार को गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से अभ्यावेदन - प्राप्त हुये जिसमें यह अनुरोध किया है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए आगे कुछ और संशोधन किए जाएं;

और, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा 2 और धारा 25 के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए नियम का प्रारुप भारत के राजपत्र, असाधरण में सा.का.नि.158 (अ), तारीख 9 मार्च, 2009 को इस नियम के द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए नियमों को प्रकाशित किया और यह सूचित किया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियम उस तारीख को जिसको इस अधिसूचना संबंधी राजपत्र की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती है, से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 27 मार्च, 2009 को सर्वसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उपरोक्त प्रारूप नियमों के उत्तर में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ii) और धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ख) और धारा 25 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के आरम्भिक भाग में "संनिर्माण कार्यकलाप" शब्दों के पश्चात्, "पटाखे, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण" शब्दों को अत: स्थापित किया जाएगा;

3. उक्त नियम के नियम 2 में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाऐंगे; अर्थात् :-

"(झ) "सार्वजनिक स्थल" से ऐसे स्थान अभिप्रेत है जिसमें जनता की पहुंच है चाहे उसका अधिकार हो या न हो, और जिनके अन्तर्गत ऑडीटोरियम, होटल, जन प्रतीक्षालय, सभा केन्द्र, लोक कार्यालय, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, खुले मैदान, और इसी प्रकार के स्थान जिनमे आम जनता जाती है; और

(ञ) "रात्रि समय" से 10.00 बजे रात्रि और 6.00 बजे प्रात: के बीच की अवधि अभिप्रेत है ।"

4. उक्त नियम के नियम 3 के उप नियम (3) में, "यानीय संचलन से प्रसर्जित ध्वनि", शब्दों के पश्चात् "हार्न बजाना, आवाज़ करने वाले पटाखें फोड़ना, लाउड स्पीकरों या लोक संबोधन प्रणाली और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग" शब्द अंत:स्थापित किए जाऐंगे ।

5. उक्त नियम के नियम 5 में, -

(क) शीर्षक में, "लोक संबोधन प्रणाली" शब्दों के पश्चात्, "और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

(2) "लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण या वाद्य उपकरण या ध्वनि प्रवर्धन का प्रयोग, हाल के भीतर सिवाय तब के जब वह संसूचना के लिए बंद परिसर जैसे, प्रेक्षागृह, सम्मेलन कक्ष, सामुदायिक हाल, प्रीतिभोज हाल हो या सार्वजनिक आपातस्थिति के दौरान, रात्रि में नहीं किया जाऐगा ।"

(ग) उपनियम (3) में,-

(क) " रात्रि के दौरान लोक संबोधन प्रणालियों" शब्दों के स्थान पर " रात्रि के दौरान लोक शब्द संबोधन प्रणाली और इसके समान" शब्द रखे जाऐंगे ।

(ख) " किसी कलैन्डर वर्ष के दौरान सीमित अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं", शब्दों के पश्चात् "संबंधित राज्य सरकार साधारणतया पहले से दिनो की संख्या और विवरणों का अग्रिम शब्द रुप से उल्लेख करेंगे जब ऐसी छूट प्रभावी होगी" शब्द अंत स्थापित किए जाऐंगे ।

घ) इस प्रकार यथा संशोधित उप नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किए जाऐंगे, -

"(4) सार्वजनिक स्थान, जहाँ लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्रोत उपयोग में लाया जा रहा है, की चारदीवारी में ध्वनि स्तर, क्षेत्र के लिए परिवेशी ध्वनि स्तर 10 dB(A) या 75 dB(A) जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा ।

(5) किसी निजी स्वामित्व की ध्वनि प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का परिधीय ध्वनि स्तर, निजी स्थान की चारदीवारी में, उस क्षेत्र जहां यह उपयोग में लाया जा रहा है, के लिए परिवेशी ध्वनि मानक के 5 dB(A) से अधिक न होगा ।"

6. उक्त नियमो के नियम 5 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"5 क. भोंपू (हॉर्न) के उपयोग, ध्वनि उत्सर्जित करने वाली संनिर्माण मशीनें और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध. -

(1) भोंपू (हॉर्न) का उपयोग शांत परिक्षेत्रो या रात्रि समय मे आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक आपात के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(2) ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे शांत परिक्षेत्र या रात्रि समय में नहीं फोड़े जाऐंगे ।

(3) रात्रि में ध्वनि उत्सर्जित करने वाली संनिर्माण मशीनें शांत परिक्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में उपयोग में नहीं लाई जायेंगी या चलाई नहीं जायेंगी ।"

7. उक्त नियमों के नियम 6 में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिलिखत खंड अंत:स्थापित किये जाएंगे, अर्थात: -

"(iv) जो कोई, ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे फोड़ता है, या

(v) जो कोई, लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग करता है ।"

8. उक्त नियम के नियम 7 के उप-नियम 7(1) में "संबंधित कॉलम के विरूद्ध किसी क्षेत्र/परिक्षेत्र" शब्दों के पश्चात "या, यदि रात्रि समय के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में इन नियमों के किसी उपबंध का अतिक्रमण है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त नियमों के नियम 8 के उप नियम 1 के खंड (क) में,-

(i) उपखंड (ii) में "लोक संबोधन प्रणाली उपकरणों या उपस्कर" शब्दों के स्थान पर, "लोक संबोधन प्रणाली, हॉर्न, उपकरण या उपस्कर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएं ।

(ii) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे फोड़ने से कारित ध्वनि, या" ।

[फा. सं. क्यू-15022/02/08-सी पी ए]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याक का.आ. 123(अ), तारीख 14 फरवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 1046(3), तारीख 22 नवम्बर, 2000, का.आ. 1088(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2002 और का.आ. 1569(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2006 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2010

S.O. 50(E).—Whereas, the Central Government has notified the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 vide notification number S.O. 123 (E), dated the 14th February, 2000, which has been amended vide S.O.1046(E), dated the 22nd November, 2000, S.O.1088 (E), dated the 11th October, 2002 and S.O.1569 (E), dated the 19th September, 2006;

And, whereas, the Central Government had received representations from Non-Government Organisations and individuals requesting for certain amendments in view of various difficulties being faced in the society due to noise pollution;

And , whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, further to amend the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 published the draft rules in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 158(E), dated the 9th March, 2009 for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public ;

And, whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 27th March, 2009;

And, whereas, objections and suggestions received in response to the above mentioned draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, namely:-

The Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010

1. (1) These rules may be called the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, (hereinafter referred to as the said rules), in the opening portion, after the words "construction activity", the words "fire crackers, sound producing instruments" shall be inserted;

3. In the said rules, in rule 2, after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:-

   "(i) "public place" means any place to which the public have access, whether as of right or not, and includes auditorium, hotels, public waiting rooms, convention centres, public offices, shopping malls, cinema halls, educational institutions, libraries, open grounds and the like which are visited by general public; and

   (j) "night time" means the period between 10.00 p.m. and 6.00 a.m.".

4. In the said rules, in rule 3, in sub- rule (3), after the words "noise emanating from vehicular movements", the words "blowing of horns, bursting of sound emitting fire crackers, use of loud speakers or public address system and sound producing instruments" shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 5,-

   (i) in the heading, after the words "PUBLIC ADDRESS SYSTEM", the words "AND SOUND PRODUCING INSTRUMENTS" shall be inserted;

(ii) for sub-rule (2), the following sub- rule shall be substituted, namely:-

"(2) A loud speaker or a public address system or any sound producing instrument or a musical instrument or a sound amplifier shall not be used at night time except in closed premises for communication within, like auditoria, conference rooms, community halls, banquet halls or during a public emergency.";

(iii) In sub-rule (3),-

(a) for the words "public address systems during night hours", the words "public address system and the like during nights hours" shall be substituted;

(b) after the words "a limited duration not exceeding fifteen days in all during a calendar year.", the words "The concerned State Government shall generally specify in advance, the number and particulars of the days on which such exemption would be operative." shall be inserted;

(iv) after sub-rule 3, as so amended, the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(4) The noise level at the boundary of the public place, where loudspeaker or public address system or any other noise source is being used shall not exceed 10 dB (A) above the ambient noise standards for the area or 75 dB (A) whichever is lower;

(5) The peripheral noise level of a privately owned sound system or a sound producing instrument shall not, at the boundary of the private place, exceed by more than 5 dB (A) the ambient noise standards specified for the area in which it is used.".

6. In the said rules, after rule 5, the following shall be inserted, namely:-

"5A. RESTRICTIONS ON THE USE OF HORNS, SOUND EMITTING CONSTRUCTION EQUIPMENTS AND BURSTING OF FIRE CRACKERS.-

(1) No horn shall be used in silence zones or during night time in residential areas except during a public emergency.

(2) Sound emitting fire crackers shall not be burst in silence zone or during night time.

(3) Sound emitting construction equipments shall not be used or operated during night time in residential areas and silence zones.".

7. In the said rules, in rule 6, after the clause (iii), the following clauses shall be inserted, namely -

"(iv) whoever, bursts sound emitting fire crackers; or

(v) whoever, uses a loud speaker or a public address system.".

8. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), after the words "in the corresponding columns against any area/ zone" the words "or, if there is a violation of any provision of these rules regarding restrictions imposed during night time" shall be inserted.

9. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1), in clause (a),-

(i) in sub-clause (ii), for the words, "public address systems, appliance or apparatus" the words "public address systems, horn, construction equipment, appliance or apparatus" shall be substituted;

(ii) after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(iii) sound caused by bursting of sound emitting fire crackers, or,".

[F. No. Q-15022/02/08-CPA]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 123 (E), dated 14th February, 2000 and subsequently amended vide S.O. 1046 (E), dated the 22nd November, 2000, S.O. 1088 (E), dated the 11th October, 2002 and S.O. 1569 (E), dated the 19th September, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.